

पत्र सं०- नोटिस एवं ASSESSMENT माड्यूल /2016-2017/ 270 /1617018 /वाणिज्य कर  
कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर ए 3090  
(आईटी0 अनुभाग)  
दिनांक :: लखनऊ :: जुलाई 05, 2016

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर  
समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्य0)वाणिज्य कर  
उत्तर प्रदेश ।

कृपया आईटी0 अनुभाग के पत्र सं० 113 दिनांक 13-05-2016 तथा पत्र सं० 218 दिनांक 20-06-2016 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा 50 लाख के कम के वार्षिक टर्नओवर वाले व्यापारियों को मार्किंग से सम्बन्ध में निर्देश जारी किये गये थे ।


उक्त निर्देशों में मार्किंग की अंतिम तिथि 23-06-2016 नियत की गयी थी । दिनांक 23-06-2016 तक कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा Marked किये गये व्यापारियों का विवरण निम्नवत् है :-

		Marked	Deemed
1	Less than 25 Lakh	415335	91938
2	Gerater than 25 lash and less than 50 lakh	84925	31395
3	Gerater than 50 lash and less than 1 Cr.	52771	12184
4	Gerater than 1 Cr.	75846	20823

उक्त दिये गये सारणी में ऐसे सभी व्यापारी जिनका टर्नओवर 50 लाख से कम है तथा जो Deemed की श्रेणी में चयनित नहीं किये गये हैं उनकी सूची को 07 Reasons में Mark करने हेतु कर निर्धारण अधिकारियों के Login पर उपलब्ध करा दिया गया है ।

उक्त मार्किंग का कार्य प्रत्येक दशा में 20-07-2016 तक अवश्य पूर्ण कर लिया जाये जिससे 50 लाख के कम के वार्षिक टर्नओवर वाले व्यापारियों की कर निर्धारण सम्बन्धित सूची Final कर कर निर्धारण हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध करा दी जाये । 07 Reasons में मार्किंग न होने के कारण यदि किसी व्यापारी का चयन कर निर्धारण हेतु नहीं हो पाता है तो सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी को उत्तरदायी मानते हुए कार्यवाही की जायेगी एवं मार्किंग की तिथि आगे नहीं बढ़ायी जायेगी एव जिस स्तर के अधिकारी द्वारा मार्किंग नहीं की जायेगी उसका उत्तरदायी निर्धारित करते हुए कार्यवाही की जायेगी ।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें । यह पत्र कमिश्नर महोदय के अनुमोदनोपरान्त जारी किया जा रहा है ।

  
( विवेक कुमार )

एडीशनल कमिश्नर(विधि), वाणिज्य कर  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।